

अनुतानक—।

प्राव्र का जात्यारान

- (प्राव्र / प्रजाकरण / मामोलग रख्या की घास वे छाव्र का भूमि ग्रुप्र/भुप्री/—
 १) शुभ्री जिसे में (रात्यारान का नाम) प्रदेश दिया गया है, उसने उच्च ग्रीष्मिक
 २००३ के जोड़ीया पर नियंत्रण रखनी पूजीरी विनियमों की प्रति भावा की है (जो इसके आगे भी विनियम
 ३) या इन विनियमों में रागादिष्ट प्राप्तियाँ को प्राप्तपूर्वक पढ़ कर पूरी तरह से समझ लिया है;
 ४) एवं ऐसे इन विनियमों परी घारा ३ को प्राप्तपूर्वक पढ़ा है तथा भुमि इस बात का संशान है कि ऐसिंग में कोई भी घास
 ५) विनियमों की घारा ३ एवं ०.१ को भी विरोध रूप से पढ़ा है एवं ये उस इन्डियानक एवं मराठानिया कार्बोइड के विवर में पूरी
 ६) विनियमों की घास की जा सकती है यदि ये ऐसिंग को बढ़ावा देने के लिए उसी पाया जाता है अंदर ऐसिंग
 ७) उपर्युक्त विवरण इन विनियमों की घारा ३ के अंतर्गत रहती है।
 ८) १) ०.१ किसी घटहार अधिका कृत्य में जलतान मही होकरा/होकी जिसे इन विनियमों की घारा ३ के अंतर्गत रहती है
 ९) १) ०.१ किसी आधरण अधिका अनाधरण के काम में न तो भाग लौगा/लौगी न ही उसके पद्धयन्त्र में अधिका उसके प्रोत्ताहन
 १०) ०.१ किसी जिस कृत्य को इन विनियमों की घारा ३ के अंतर्गत रहती है उसके रूप में माना गया है।
 ११) अनुतानक अधिका अन्य किसी कानून को अनुसार ऐसे विनियमों की घारा ०.१ के अनुसार इनसे दिना
 १२) इन्डिया के लिए तथा ऐसी ट्रॉडोनक कार्बोइड के लिए उत्तरदायी हैं या कि अन्य किसी आपराधिक मामते के प्रति
 १३) अनुतानक अधिका अन्य किसी कानून को अनुसार ऐसे विनियमों की जा सकती है।
 १४) या/करती है कि इस देश के किसी भी संस्थान ने, भुमि ऐसिंग के उपर्युक्त में अधिका उसे प्रोत्ताहित करने, इसको
 १५) प्रथम इसमें भाग सेवे के ग्रामसे में दोसों घने के लिए भा तो निष्कासित किया है भा ही प्रदेश से बाधित किया
 १६) ही भी भागाणित करता/करती है कि यदि कोई जाई पह घोषणा असत्य बाई जाती है तो भुमि पूरी घानकारी है कि
 १७) उसका लाभ नहीं करा जाएगा। यारदाधित गुप्र पर होगा।

१८) दिन माह वर्ष

राष्ट्रकारी के हस्ताक्षर
नाम

रात्यारान

१९) जाता है कि यह देशरक्षाता भी संशान सर्वोदय लक्ष्य से रात्यारान संवीकीण लक्ष्य है तथा इसका कोई भी भ्रंग असत्य नहीं है तथा

२०) भी रात ना भी घिपाई गई और ना ही उपर्युक्त लक्ष्य गई है।

२१) दिन माह वर्ष

राष्ट्रकारी के हस्ताक्षर
नाम

अनुलोदानक-II

गांडा-पिता / अभिनवाकाश गांडा की पूर्व प्रतिवेदन

1. श्री/ श्रीमती/ मुमुक्षु (गांडा-पिता/ अभिनवाकाश का पूरा नाम छांत्र का प्राप्त नाम प्राप्ति का प्रवेश/ पंजीकरण/ नामांकन संस्था सहित) के पिता-गांडा/ अभिनवाकाश, पिता के गांडा को (संस्थान का नाम) में प्रवेश दिया गया है, इसने उच्च रीमिक संस्थानों, 2009, मे. १५ जून की पीढ़ीमें पर नियन्त्रण संग्रहने वाले संस्थान गृजीती विनियमों (जो आगे से विनियम भी नाम से रखलायेंगे) को व्यावधारण पढ़ लिया है तथा इन विनियमों में सामांजिस्ट प्रावधानों को पूरी तरह समर्पित किया है।
2. मेरे निरिट भाग से इन विनियमों का अपलोकन किया है एवं मुझे इस गांडा की गांडाकांडी है कि ऐसिंग में संग्रह शामिल है। गांडा-पिता की वापसी पर उन्होंने अपलोकन किया है एवं मेरी वापसी में दोषी वार्ता के लिए मार्द भी गांडा का अपवाह रीमिंग में व्यावधारण होने को सक्रिय प्रयत्न प्रयोग करने से दोषी वापसी/ शार्ट जाती है अपवाह रीमिंग की प्रकाश देते हुए एक ठिक्का होता/ होती है तो उस विनियम में उसके विस्तृत विवरण के प्रशासनिक व्यावधारण का वह विवरण होगा/ होती है जो उसे अन्वयन में है।
3. मेरे वापसी वापसी वापसी करता/ करती है एवं आरवासन देता/ देती है कि—
(अ) गांडी गांडान ऐसे किसी व्यक्तिका अधिकार अपना कृत्य में रखनिया चाही होगी किसे विनियमों की वापसी ३ के अंतर्गत रीमिंग माना गया है।
(ब) गांडी गांडान वापसी वापसी करता/ करती है कि यदि मेरी गांडान रीमिंग की दोषी शार्ट जाती/ वापसी गांडा है तो उसमें सहायक होगी वा उसे व्योत्ताहित करने की विनियमों की वापसी ३ के अंतर्गत रीमिंग से रूप में माना गया है।
4. उत्तराधिकारी के द्वारा घोषित करता/ करती है कि यदि मेरी गांडान रीमिंग की दोषी शार्ट जाती/ वापसी गांडा है तो उस उत्तराधिकारी के द्वारा देख दी जाएगी जो कि किसी भी अन्य आपराधिक कृत्य के पूर्णाङ्ग होने के बिना दी जाएगी जो उसके द्वारा मेरी गांडान के विस्तृत किसी भी देख दी जाएगी गांडा के अधिकार वर्तमान में सार्व किसी भी अन्य कानून के अनुपरी होगा।
5. उत्तराधिकारी में यह घोषित करता/ करती है कि यदि मेरी गांडान इस देश में विद्यान किसी भी संस्थान द्वारा रीमिंग की दोषी वापसी उत्तराधिकारी के अधिकार वर्तमान का एक ठिक्का होने से दोषी होने के कारण अधिकार उसके प्रोत्ताहित करने के बावजूद कारण विकासित नहीं होई है/ होता है ताकि यह भी पुष्टि करता है कि यदि यह घोषणा असत्य शार्ट जाती है, तो मेरी गांडान को दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

घोरित विवाह वया दिन माह वर्ष

राष्ट्रीयकर्ता के उत्तराधिकार

नाम:

पता:

दूरभास स./ मो. नं.:

रात्यापन

सात्यापित किया जाता है कि यह उत्तराधिकारी मेरे गांडान में रात्यापित कृत्य से रात्य है तथा इसका कोई भी अंतर असत्य नहीं है।

सत्यापित (त्वान) दिन माह वर्ष

रात्यापन वाले हरकार: